

14(3)/18

पत्रापी पेश हुई, कापील वादी/प्रतिवादी
उपस्थित। पत्राचलिकां अधिक होने से
प्रकार में सुनवाई नहीं हो सकी।

पत्राचली पूर्ववत दिनांक ~~8/11/18~~ पत्राचली लोड अदालत
को पेश हो। डेम्प - मोरणा डि. 5.6.18 के पेश
हो।

5.6.18. पत्राचली लोड अदालत डेम्प मोरणा में पेश हुई।

उभयपक्ष उपरोक्त वादीगण के अधिवक्ता भी उपरोक्त
वकील वादीगण ने प्राप्ति प्रस्तुत कर

पृष्ठ-1

रामेगोपात्र निवेदन किया कि विवादित

आराजी प्रतिवादी नं. 1 को वादनसबन्धी

नियमानुसार आवंटित हुई थी, जिले प्रवि.

नं. 1 बैचान करने पर आभादा है, मल।

वादी नं. 1 को प्रतिवादी नं. 1 के साथ प्रति


अ. 10
विवादित
के अधिवक्ता
डेम्प मोरणा
पत्राचली लोड
अदालत
सबसे
पत्राचली


नम्बर
अहकाम
हुक्म
में जारी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम
जो किस हुक्म की
तामील में जारी हुए

सहाय्यकार कोषित रिक्त पावे।
वहील कदीगण एवं प्रसिवादी नं. 1
को मजगे काम में मुना मया तथा
पत्राल सरकार का ठावलोकन रिक्त।
प्रकरण के सम्बन्ध में विविध विचारण
करने के उपरान्त जाहिर हुआ कि
विषयदिल आरजी प्रसिवादी नं. 1 की
खातेदारी में दर्ज है तथा कदी नं. 1
पत्नी एवं कदी नं. 2 पुत्र है।
प्रसिवादी नं. 1 की आरजी में कदी नं. 2
को सहाय्यकार कोषित रिक्त जाने में
प्रसिवादी नं. 1 को कोई आपत्ति नहीं है।
रिक्तता का कद कदीगण ऑथिफु स्वीकार
रिक्त जाकर आदेश दिखे जाते हैं कि
ग्राम शाहपुरा लट्ठील दीगोद स्थित खनं
200 रुकबा 1.31 हे. भूमि में कदी नं. 9
मधवीर को प्रसिवादी नं. 1 रामजोपाल के
आप बहिन्ना बराबर आतेदार कोषित
रिक्त जाना है। लड़कुमार रिक्ती जारी हो,
विर्गम मजगे काम में मुना मया। पत्राली
कुल्ल मुकार होकर प्रसिवादी बरे मन्तर हो।


(सि. नं. 651)



अंतिम डिक्री मुकदमा
(आ 20 रुल 6-7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा लोक
अदालत केम्प मोरपा

उनवान

1. बीरधी बाई पत्नी रामगोपाल
2. महावीर पुत्र रामगोपाल जाति नायक निवासीगण मोरपा तहसील दीगोद जिला कोटा

- वादीगण

बनाम

1. रामगोपाल पुत्र माधो जाति नायक निवासी मोरपा तहसील दीगोद जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसील दीगोद जिला कोटा

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188-92ए आरटीएक्ट

मिसल नम्बर-127/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिव मुद्दई रुबरु मिनजानिव मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम शाहपुरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 200 रकबा 1.31 हे0 भूमि में वादी नं0 2 महावीर मो प्रतिवादी नं0 1 रामगोपाल के साथ बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है।" तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 05.06.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।


(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद